

202

78

II. निगम / रिमा / 2018/6/61

न्यायालय श्री मान राजव मडल ग्वा लियर , सफिट कोर्ट रीवा , जिला -रीवा



विलोपित / विलोपित

विलोपित / विलोपित

म०प्र०

R/301-

- 1- ओम प्रकाश मिश्रा तनय केशव प्रसाद मिश्रा ,
- 2- अशोक कुमार मिश्रा तनय दिनेश प्रसाद मिश्रा , §
- 3- आदित्य कुमार मिश्रा तनय छोटेलाल मिश्रा ,
- 4- छोटेलाल मिश्रा तनय शिवशरण लाल मिश्रा , § सभी नि० ग्राम पतौना ,
- 5- चन्द्र कुमार मिश्रा तनय छोटेलाल मिश्रा , § तहसील रायपुर कर्छु०
- 6- दिनेश प्रसाद तनय शिवशरण मिश्रा , § द्वारा- आम जनता ग्राम
- § पतौना , त ह० रायपुर कर्छु०
- § जिला -रीवा म०प्र०

निगरानीकर्ता शब्द

अधि० श्री निगुणसेन
 न्यायी द्वारा पत्र
 26.12.17
 सफिट कोर्ट
 म० प्र० ग्वा लियर
 सफिट कोर्ट रीवा

बनाम

1- अरविन्द कुमार पाण्डेय तनय गोपीनाथ पाण्डेय निवासी ग्राम पतौना , तहसील रायपुर कर्छु० जिला -रीवा म०प्र०

2- शासन म०प्र०

अन०/ उत्तरवादीगण

स्व-निगरानी विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला -
 रीवा म०प्र० के द्वारा राजस्व प्र० 23/अ 19/
 स्व निगरानी /2016-17 मे पारित आदेश दिनांक
 30-10-17,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० कू०रा०स० 1959ई

मान्यवर ,

प्रकरण का सक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

1- यहकि उपरोक्त स्वनिगरानी निगरानी कर्ता गण द्वारा आमजनता ग्राम पतौना

(Signature)

78
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक II/मिग. 12.1/18/161 जिला- रीवा

ओमप्रकाश मिश्रा विरुद्ध अरविन्द कुमार पाठेय

(2)

154-19

1. आवेदक की ओर से श्री ~~श्री राजेश कुमार पाठेय~~ अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला ~~रीवा~~ के प्रकरण क्रमांक ~~23/31/19/स.क्रि./16/17~~ में पारित आदेश दिनांक ~~30-10-17~~ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ~~28-3-19~~ को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य